दक्षिण क्षेत्रीय समिति
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)

गुरुर्गुरुतमो धाम
NCTE

Southern Regional Committee
National Council for Teacher Education
(A Statutory Body of the Government of India)

123005

दिनांकः 05 JAN 2021

प्रति,

संचालक / प्राचार्य,
शैक्षणिक महाविद्यालय एवं संस्थान,
दक्षिणी क्षेत्रीय समिति के अंतर्गत आने वाले सभी राज्य।

विषय :— महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिया गया निर्देश जिसमें हिंदी राजभाषा को सभी सरकारी कार्यालयों में प्रयोग में लाने के संदर्भ हेतू।

महोदय / महोदया,

हिंदी राजभाषा विभाग, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) नई दिल्ली, से प्राप्त पत्र *फा.सं. एनसीटीई–राज003 / 1 / 2020–ओ / ओ यूस (राजभाषा)–मु. दिनांक* 15.12.2020 का अवलोकन करे जिसमें महामहिम राष्ट्रपति द्वारा देश के सभी सरकारी कार्यालयों, विभागों एवं शैक्षणिक संस्थानों (टीईआई) को राष्ट्रभाषा हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है को, दक्षिणी क्षेत्रीय समिति के अंतर्गत आने वाले सभी शिक्षण संस्थानों को अग्रेषित किया जा रहा है।

अतः सभी शैक्षणिक संस्थानों (टीईआई) से आग्रह किया जाता है कि भविष्य में आप जो भी पत्र / कागजात दक्षिणी क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) नई दिल्ली, को भेजें जहॉं तक संभव हो सके उसे द्वि–भाषी भाषा (अंग्रेजी एवं हिंदी) में भेजे जिससे कि महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए आदेश को यथासंभव पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

सादर।

भवदीय,

5/1/21

(डॉ. अनिल कुमार शर्मा)
क्षेत्रीय निदेशक

संलग्लकः उपरोक्तानुसार

कार्यालयः जी-7, सैक्टर-10, (नियर सैक्टर-10 मैट्रो स्टेशन), द्वारका नई दिल्ली-110075
कार्य क्षेत्र : आंध्र प्रदेश, तेलगांना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडिचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरला
ई-मेलः src@ncte-india.org वेबसाईट : www.srcncte.in

Office : G-7, Sector-10, (Near Sector-10 Metro Station) Dwark
New Delhi-110075
Jurisdiction : Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Tamilna
Pudicherry, Andamana & Nikobar, Lakshadweep, Kerala
E-mail : src@ncte-india.org Website : www.srcncte.in

172126/2020/O/o US(Rajbhasha)-HQ

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
(भारत सरकार का एक विधिक निकाय)

National Council for Teacher Education
(A Statutory Body of the Government of India)

फा.सं.एनसीटीई–राज003 / 1 / 2020–ओ / ओ यूएस(राजभाषा)–मु. दिनांक: 15.12.2020

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक
दक्षिण क्षेत्रीय समिति
एनसीटीई
द्वारका, नई दिल्ली

परिपत्र

विषयः संसदीय राजभाषा समिति के महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेश।

संदर्भः गृह मंत्रालय राजभाषा के पत्र क्रमांक 13035–5 / 2017–रा.भा.ए. दिनांक 08.06.2017 एवं दिनांक 10.12.2020 शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

महोदय,

उपरोक्त पत्र के संदर्भ में गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेश जारी किए गए है।

अतः इसके परिपालन में आपके अंतर्गत आने वाले सभी विभाग एवं सभी शैक्षणिक (टीईआई) संस्थानों को इस आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई जाए तथा उनके द्वारा इस आदेशों का पालन सुनिश्चित करवाएं एवं उनके द्वारा इस संदर्भ में किए गए कार्य की रिपोर्ट लेने के उपरान्त राजभाषा विभाग, मुख्यालय को दिनांक 28.12.2020 (सोमवार) तक अवगत कराऐं।

अवर सचिव(रा.भा.)

प्रतिलिपि सूचनार्थः–
अध्यक्ष / सदस्य सचिव के निजी सचिव / सहा.

171732(2)/2020/CP(NCTE)-HQ

फा.सं. 13035-9/2020-रा.भा.ए.
भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
राजभाषा प्रभाग
*****

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 10 दिसम्बर, 2020

परिपत्र

विषय : मंत्रालयों /विभागों द्वारा दिए जाने वाले हिन्दी विज्ञापनों पर व्यय के संबंध में।

माननीय संसदीय राजभाषा समिति ने हाल ही में इस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान समिति की सिफारिशों पर महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेशों के अनुसार कार्यालयों द्वारा हिन्दी विज्ञापनों पर व्यय न करने के संबंध में असंतोष व्यक्त किया है। ये आदेश इस प्रकार हैं:-

'मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों आदि द्वारा जो भी विज्ञापन अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषाओं में दिए जाते हैं, उन्हें हिन्दी भाषा में अनिवार्य रूप से दिया जाएगा'।

उपर्युक्त आदेश मंत्रालय के दिनांक 08 जून, 2017 के परिपत्र संख्या 13035-5/2017-रा.भा.ए. (प्रति संलग्न) द्वारा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों को परिचालित किए गए थे। दिनांक 11 जनवरी, 2018 तथा 27 सितम्बर, 2018 के फा.सं. 13035-14/2017-रा.भा.ए. के परिपत्रों (प्रतियां संलग्न) द्वारा भी पुन: ये आदेश दोहराए गए थे।

माननीय समिति ने उक्त आदेशों का पूर्णत: पालन करने का निदेश दिया है। इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने और की गई कार्रवाई की सूचना उपलब्ध करवाए जाने का पुन: अनुरोध है।

(सुनीति शर्मा)
निदेशक(रा.भा.)

प्रतिलिपि:

1. शिक्षा मंत्रालय के दोनों विभागों के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालय/उच्च शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय।
2. मंत्रालय के सभी ब्यूरो प्रमुखों को उनके अंतर्गत आने वाले कार्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थान को यथापेक्षित निदेश दिए जाने के अनुरोध सहित प्रेषित।
3. सीएमआईएस यूनिट को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
4. गार्ड/ संबंधित फाइल

171732(2)/2020/CP(NCTE)-HQ

फा.सं. 13035-5/2017-रा.भा.ए.
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 08 जून, 2017

परिपत्र

विषय: संसदीय राजभाषा समिति के नौवें प्रतिवेदन पर महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेश।

****

गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा संसदीय राजभाषा समिति के नौवें प्रतिवेदन पर महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेश जारी किए गए हैं। मंत्रालय के दोनों विभागों तथा इनके अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों द्वारा निम्नलिखित आदेशों पर कार्रवाई की जानी अपेक्षित है:-

1. सभी कार्यालय प्रशिक्षण कार्य की ओर विशेष ध्यान दें और प्रशिक्षण कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करवाएं, ताकि प्रशिक्षण कार्य एक वर्ष में पूरा हो सके। नए भर्ती होने वाले जिन कार्मिकों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं है, उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए।
2. कंप्यूटरों पर अविलंब द्विभाषी सुविधा उपलब्ध कराई जाए और कंप्यूटरों पर काम करने वालों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, ताकि वे हिंदी में भी कार्य कर सकें।
3. प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण सामग्री को द्विभाषी रूप में उपलब्ध करवाएं।
4. राजभाषा कार्यान्वयन समितियां अपने कार्यान्वयन में सुधार लाएँ और सभी बैठकों में सभी मदों की समीक्षा करते हुए कमियों को दूर किया जाए।
5. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक अवश्य सुनिश्चित की जाए और बैठक के दौरान कार्यालय के विभिन्न अनुभागों में हो रही राजभाषा संबंधी प्रगति पर नजर रखी जाए।
6. सभी कार्यालय यह सुनिश्चित करें कि वे अपने नगरों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य बन गए हैं।
7. प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु कम से कम एक हिंदी पद अवश्य सृजित किया जाए। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु न्यूनतम हिंदी पद सृजन की इस अवधारणा को तत्काल लागू किया जाए।
8. एक वर्ष से अधिक समय तक रिक्त पड़े हुए हिंदी के पदों को समाप्त नहीं किया जाए।
9. कार्यालयों द्वारा जो भी विज्ञापन अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषाओं में दिये जाते हैं, उन्हें हिंदी भाषा में अनिवार्य रूप से दिया जाए।

.../-2

171732(2)/2020/CP(NCTE)-HQ

फा.सं. 13035-5/2017-रा.भा.ए.

पूर्व पृष्ठ से:-

10. जहाँ तक संभव हो हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में ही विज्ञापन जारी किए जाएं।
11. द्विभाषी रूप में जारी किए जाने वाले विज्ञापन डिग्लॉट रूप में दिए जाएं।
12. लागत को समान रखने के लिए हिंदी के विज्ञापन बड़े आकार में तथा मुख पृष्ठ पर दिए जाएं, जबकि अंग्रेजी के विज्ञापन छोटे आकार में अंतिम पृष्ठ या बीच के पृष्ठ पर दिए जाएं।
13. कार्यालयों/पुस्तकालयों के लिए उपलब्ध धनराशि में से जर्नल व संदर्भ साहित्य की खरीद किए जाने के बाद बची राशि का 50 प्रतिशत या कार्यालय व्ययका न्यूनतम एक प्रतिशत, जो भी राशि अधिक हो, वह हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्च की जाए।
14. कार्यालय में चल रही मौलिक पुस्तक लेखन योजना, यदि कोई हो, को और अधिक आकर्षक बनाया जाए और पुरस्कार राशि में वृद्धि की जाए।
15. हिंदी साहित्य के क्षेत्र में रचनात्मक कार्य से जुड़े कार्मिकों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाए।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दोनों विभागों के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालय इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

केवल कु.शर्मा

(केवल कुमार शर्मा)
सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग

प्रतिलिपि:-

1. मानव ससाधन विकास मंत्रालय के दोनों विभागों के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालय/उच्च शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय।
2. मानव ससाधन विकास मंत्रालय के दोनों विभागों के सभी ब्यूरो।
3. सचिव, राजभाषा विभाग को उनके दिनांक 25 अप्रैल, 2017 के अ.शा. पत्र सं. 20012/01/2017-रा.भा.(नीति) के संदर्भ में।
4. सी.एम.आई.एस. यूनिट को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
5. गार्ड फाइल।